Haryana Industrial Training Directorate,
Headquarters: Chandigarh

पंजीकृत
तत्काल/तिथिबद्व
सेवा में

प्रधानाचार्य,
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अम्बाला, भिवानी, फरीदाबाद, भौडियाखेड़ा (फतेहाबाद), गुड़गांव, हिसार, जीन्द, बहादुरगढ़ (झज्जर), करनाल, कुरूक्षेत्र, कैथल, महेन्द्रगढ़, फिरोजपुर झिरका (मेवात), पलवल, पानीपत, पंचकूला, रिवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत तथा यमुनानगर।
यादी क्रं0 टी–4/पी0एम0एस0/एस0सी0/2014 |2033
दिनांक :– 12.8.14.

विषयः– पोस्टमैट्रिक स्कोलरशिप स्कीम के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृति की अदायगी बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

आपको निर्देश दिए जाते है कि आप के जिले में स्थित सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला) तथा राजकीय कला स्कूल, रोहतक में प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं को पोस्टमैट्रिक स्कोलरशिप स्कीम के तहत दी जाने वाली छात्रवृत्ति की अदायगी प्रत्येक तिमाही उपरान्त की जाए तथा उक्त संस्थानों से छात्रवृति की अदायगी की रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही उपरान्त लेकर प्रमाणित करें कि क्या सभी संस्थानों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृति की अदायगी समय पर की जा रही है या नहीं। इस की सूचना प्रत्येक तिमाही खत्म होने के 10 दिन के अन्दर–2 निदेशालय पर भेजना सुनिश्चित करें।

उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देश दिए जाते है कि दिनांक 1.4.2014 से 30.6.2014 तक की तिमाही के बारे में निदेशालय को तुरन्त सूचित करें, कि क्या सभी छात्र/छात्राओं को छात्रवृति प्रदान की जा चुकी है या नहीं। यदि अदायगी नहीं की गई तो उस संस्थान की सूचना तुरन्त निदेशालय को दें। बजट की मांग/प्रत्येक तिमाही के खर्च की रिपोर्ट सहायक निदेशक (योजना) को तुरन्त उपलब्ध करवाई जाए।

11/8/14
उप–निदेशक (प्रशिक्षण)
कृतेः महानिदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।

पृ0 क्रं0 टी–4/पी0एम0एस0/एस0सी0/2014/ 2034 दिनांक :– 12.8.14
उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती हैः–

1. सहायक निदेशक (योजना)।
2. सभी प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला) तथा राजकीय कला स्कूल, रोहतक को निर्देश दिए जाते है कि वह उक्त सूचना अपने जिला स्तर के प्रधानाचार्य को तुरन्त उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। आदेशों की पालना समय पर न करने पर आप स्वंय जिम्मेवार होगें।
3. सहायक निदेशक (तालमेल)।
4. नोडल अधिकारी बैबसाईट को विभगीय बैबसाईट पर डालने हेतु।

11/8/14
उप–निदेशक (प्रशिक्षण)
कृतेः महानिदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।

26/8/14
DST-III